रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03042021-226357
CG-DL-W-03042021-226357

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 07] नई दिल्ली, मार्च 21— मार्च 27, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 30, 1942— चैत्र 6, 1943
No. 07] NEW DELHI, MARCH 21— MARCH 27, 2021, SATURDAY/ PHALGUNA 30, 1942— CHAITRA 6, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

का.नि.आ. 13 .—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग, (हिंदी अधिकारी) भर्ती नियम, 1987 का अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात;

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का नाम रक्षा लेखा विभाग, सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—

उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—

पूर्वोक्त पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.— कोई व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	37*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (रु. 56100 - 177500)	चयन	अधिकतम 35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को पांच वर्ष तक शिथिलीकरण) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो। **अनुभव :** (i) शब्दावली को हिंदी में प्रयोग अथवा उसे लागू करने का तीन वर्ष का अनुभव (शब्दावली कार्य) और अंग्रेजी से हिंदी और विलोमतः अनुवाद कार्य, अधिमान्यतः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के अधीन तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद। अथवा (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त	लागू नहीं होता	एक वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन का तीन वर्ष का अनुभव अथवा हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान। **टिप्पण 1:** अन्य प्रकार से सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय :** संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी के अतिरिक्त कोई एक भाषा का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा के स्तर पर अध्ययन किया हो।			

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में उस श्रेणी का नाम जिससे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे वरिष्ठ अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (रु. 44900-142400) में इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और निर्धारित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हो। **टिप्पण 1 :** जहाँ अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों को प्रोन्नति किए जाने पर विचार किया जा रहा हो, उन मामलों में उनके ज्येष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, की कमी न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति उनकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी :- (क)(i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के (रु.	**प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए, समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** (1) अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; (2) रक्षा लेखा महानियंत्रक – सदस्य; (3) अपर वित्तीय सलाहकार अथवा उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) – सदस्य (4) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक अथवा प्रधान लेखा नियंत्रक (निर्माणियाँ) अथवा रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक अथवा रक्षा लेखा नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा नियंत्रक (निर्माणियाँ) अथवा एकीकृत वित्तीय सलाहकार – सदस्य पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए, विभागीय पुष्टि समिति: (1) रक्षा लेखा महानियंत्रक अथवा रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक – अध्यक्ष; (2) अपर वित्तीय सलाहकार अथवा उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) – सदस्य (3) रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक अथवा रक्षा लेखा नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा	प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

44900-142400) पद पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; तथा (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	नियंत्रक (निर्माणियाँ) अथवा एकीकृत वित्तीय सलाहकार – सदस्य।	

[फा. सं. 9(12)/C/2021]

आर.के.कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 23rd March, 2021

S.R.O. 13.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in the Defence Accounts Department, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence , Defence Accounts Department, Assistant Director (Official Language**)**,Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. —The number of the said post, its classification and level in the pay matrix thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language).	37* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group `A` Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).	Selection	Not exceeding thirty five years of age (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman Nicobar Island and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualifications: (i) Master’s degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;	Not applicable	One year	Fifty percent by promotion failing which by deputation (including short term contract) and fifty percent by deputation (including short

or (ii) master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii) master's degree of recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iv) master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or (v) master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. **Experience:** (i) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or autonomous body or statutory organizations or public sector undertakings or Universities or recognised research or education institutions. OR (ii) Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or autonomous body or statutory organizations or public sector undertakings or Universities or recognised research or education institutions. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of, the Union Public Service Commission is of the opinion that			term contract) failing which by direct recruitment.

sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **Desirable:** Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th Schedule of the Constitution at 10th level from a recognised Board.			

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Translators in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years regular service in the grade and have successfully completed the training of two weeks as prescribed. **Note1** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officer from the Central Government or State Governments or autonomous Body or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institution. : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in the pay matrix (Rs.44900- 142400); and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	**Group `A' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of :-** (1)Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; (2)Controller General of Defence Accounts- Member; (3)Additional Financial Adviser or Deputy Financial Adviser Ministry of Defence (Finance Division) - Member; (4)Principal Controller of Defence Accounts or Principal Controller of Accounts (Factories)or Joint Controller General of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Controller of Finance & Accounts (Factories) or Integrated Financial Adviser - Member. **Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of :-** (1)Controller General of Defence Accounts or Additional Controller General of Defence Accounts - Chairman; (2)Additional Financial Adviser or Deputy Financial Adviser Ministry of Defence (Finance Division) - Member; (3)Joint Controller General of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Controller of Finance and Accounts (Factories) or Integrated Financial Adviser - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty -six years as on the last date of receipt of applications		

[F. No. 9(12)/C/2021]

R.K.KARNA, Addl. Financial Adviser & Joint Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2021

का.नि.आ. 14 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वायुसेना समूह 'ग' (उच्च श्रेणी लिपिक) और निम्न श्रेणी लिपिक/लिपिक हिन्दी टंकक पद) भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक/लिपिक हिन्दी टंकक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुसेना, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक/लिपिक हिन्दी टंकक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना .–** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि .—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है ,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	835* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, सचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹ 25500-81100)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : (i) 75 प्रतिशत वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (₹ 19900-63200) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक / लिपिक हिन्दी टंकक की प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में भारतीय वायुसेना में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और दो सप्ताह का सुसंगत क्षेत्र में आंतरिक अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है । (ii) 25 प्रतिशत वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (₹ 19900-63200) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक / लिपिक हिन्दी टंकक की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (1) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निदेशक रैंक के अधिकारी, कार्मिक सिविलियन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय - अध्यक्ष; (2) कार्मिक सिविलियन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय से असंबंधित किसी निदेशालय का प्रतिनिधि जो उप निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो - सदस्य; (3) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक कार्मिक सिविलियन (विभागीय प्रोन्नति समिति अनुभाग), वायुसेना मुख्यालय - सदस्य ।	लागू नहीं होता

भारतीय वायुसेना में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और दो सप्ताह का सुसंगत क्षेत्र में आंतरिक अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)
अवर श्रेणी लिपिक/लिपिक हिन्दी टंकक	835* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (₹ 19900-63200)

(5)	(6)	(7)
अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिल एवं चम्बा जिले के पांगी उप-खंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2**: रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**अर्हताएं**: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास । (ii) कम्प्यूटर में कौशल परीक्षा के मानदंड :- अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट (निर्धारित समय – 10 मिनट) (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव (की-डिप्रेशन) के हिसाब से 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटा (केडीपीएच) अथवा 9000 कुंजी दबाव प्रति घंटा (केडीपीएच) के समरूप हैं)।

(8)	(9)	(10)
जी हाँ, स्तंभ 10 में दर्शाई गई सीमा तक	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियों को ऐसे समूह 'ग' में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (₹ 18000-56900) के कर्मचारियों से विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा जो 12वीं कक्षा पास हो और इस ग्रेड में तीन वर्ष की भारतीय वायुसेना में नियमित सेवा की हो । इस परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा साधारण अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालीस वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में पचास वर्ष है । **टिप्पण** : यदि उपर्युक्त शर्त (ii) के अन्तर्गत परीक्षा को पास करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक हो, तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों के नाम पर अगले वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि परीक्षा को पहले पास करने वाले कर्मचारियों के नाम पर परीक्षा को बाद में पास करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके । (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियों को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (₹ 18000 - 56900) में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके समूह-ग कर्मचारियों में से वरीयता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरा जाएगा ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : स्तंभ 10 में कथित किए गए अनुसार	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (1) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निदेशक रैंक के अधिकारी, कार्मिक सिविलियन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय - अध्यक्ष; (2) कार्मिक सिविलियन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय से असंबंधित किसी निदेशालय का प्रतिनिधि जो उप निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो - सदस्य; (3) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक कार्मिक सिविलियन (विभागीय प्रोन्नति समिति अनुभाग), वायुसेना मुख्यालय - सदस्य । **समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (1) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निदेशक रैंक के अधिकारी, कार्मिक सिविलियन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय - अध्यक्ष; (2) कार्मिक सिविलियन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय से असंबंधित किसी निदेशालय का प्रतिनिधि जो उप निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो - सदस्य; (3) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक कार्मिक सिविलियन (विभागीय प्रोन्नति समिति अनुभाग), वायुसेना मुख्यालय - सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[फा.सं. वा. से. मु. /23049/सी एल के /आर आर/पी सी (आर आर और खेलकूद)/78/र. (नि.)/2021]

देवेन्द्र कुमार,अवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 2021

S.R.O. 14 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Air Force Group 'C' (Upper Division Clerk) and Lower Division Clerk/Clerk Hindi Typists Posts) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the

President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk/Clerk Hindi Typist in the Indian Air Force, Ministry of Defence, namely;-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Indian Air Force, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk/ Clerk Hindi Typist (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.—These rules shall apply to the posts specified as in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—**The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Upper Division Clerk	835* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) 75 per cent. by promotion from the grade of Lower Division Clerks / Clerk Hindi Typists in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade in the Indian Air Force and have successfully completed in-house mandatory training of two weeks in the relevant area. (ii) 25 per cent. through limited departmental competitive examination of such Lower Division Clerks / Clerk Hindi Typists in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) of the cadre who have completed five years regular service in the grade in the Indian Air Force and have successfully completed in-house mandatory training of two weeks in the relevant area. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Officer of the rank of Director of Armed Forces Headquarters Civil Service, Directorate of Personnel Civilians, Air Headquarters - Chairperson; (2) Representative of a Directorate, other than Directorate of Personnel Civilians, not below the grade of Deputy Director, Air Headquarters - Member; (3) Joint Director or Deputy Director Personnel Civilians (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.Lower Division Clerk / Clerk Hindi Typist.	835* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Non-selection

(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of General	**Qualifications:** (i) 12^{th} class pass from a recognised Board.	Yes, to the extent indicated in column (10).

candidates and forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1** : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2** : In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	(ii) Skill test norms on computer:- English typing @ 35 words per minute, or Hindi typing @ 30 words per minute (Time allowed-10 minutes) (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions per hour or 9000 Key Depressions per hour on an average of five Key Depressions for each word).	

(9)	(10)
Two years for direct recruits.	(i) 85 per cent. by direct recruitment; and (ii) 10 per cent. of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) who possess 12^{th} class pass qualification and have rendered three years' regular service in the grade in the Indian Air Force, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age-limit for eligibility for examination is forty-five years in the case of General candidates and fifty years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. **Note** : If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5 per cent. of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years' regular service in posts in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).

(11)	(12)	(13)
Promotion: As stated in column (10)	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of**:- (1) Officer of the rank of Director of Armed Forces Headquarters Civil Service, Directorate of Personnel Civilians, Air Headquarters - **Chairperson;** (2) Representative of a Directorate, other than Directorate of Personnel Civilians, not below the grade of Deputy Director, Air Headquarters - **Member;** (3) Joint Director or Deputy Director Personnel Civilians (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters - **Member.**	Not applicable.

	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Officer of the rank of Director of Armed Forces Headquarters Civil Service, Directorate of Personnel Civilians, Air Headquarters - **Chairperson;** (2) Representative of a Directorate, other than Directorate of Personnel Civilians, not below the grade of Deputy Director, Air Headquarters - **Member;** (3) Joint Director or Deputy Director Personnel Civilians (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters - **Member.**	

[F. No. Air HQ/23049/CLK/RRs/PC-RRs & Sports/78/D (Appts)/2021]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021.

का.नि.आ. 15-&केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 की 62) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में की जाने वाली सेवा या ड्यूटी 13 जनवरी 2020 से पॉच वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत और उसके प्रयोजन के लिए "सक्रिय सेवा"होगी।

[फा. सं. 15415/ए एंड एन सी/आईडी एस/पर्स]

राजीव सिंह ठाकुर, संयुक्त सचिव

0;k[;kRed Kkiu

का.नि.आ. सं. 7, तारीख 13 जनवरी, 2015 के तहत जारी समान उपबंध सहित पिछली अधिसूचना जोकि पॉच वर्ष की अवधि के लिए 12 जनवरी, 2020 तक विधिमान्य थी । 03 जनवरी, 2020 को इस अधिसूचना के विस्तार/नवीनीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा फाइल पर मंजूरी दी गई, किंतु नई अधिसूचना (13 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त) सैन्य मामले विभाग(डी एम ए) के सृजन तथा रक्षा मंत्रालय में पुनर्संगठन से संबंधित कारणों से जारी नहीं की जा सकी।यह अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव (13 जनवरी, 2020) दिया जा रहा है ताकि का.नि.आ 7,तारीख 13 जनवरी, 2015 पर आधारित अधिसूचना में जारी किए गए उसी निबंधन और शर्तों को, जोकि पूर्व में विद्यमान थे, निर्बाध निरंतरता प्रदान की जा सके। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना में दिए जा रहे भूतलक्षी प्रभाव के फलस्वरूप इन निबंधनों और शर्तों की निर्बाध निरंतरता किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।

New Delhi, the 25th March, 2021

S.R.O. 15.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby declares that service or duty in the Union territory of Andaman and Nicobar Islands shall be 'active service' within the meaning and for the purpose of the said Act, for a period of five years, with effect from 13thJanuary, 2020.

[F. No. 15415/A&NC/IDS/Pers]

RAJEEV SINGH THAKUR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

The previous notification with identical provisions issued vide number S.R.O. 7, dated 13th January, 2015 was valid for a period of five years upto 12th January, 2020. Approval for extension/renewal of the same was granted on file by the Competent Authority on 03rd January, 2020, but the fresh Notification (taking effect from 13th January, 2020) could not be issued due to issues connected with the reorganisation of the Ministry of Defence and the creation of the Department of Military Affairs. This Notification is being given retrospective effect (from 13th January, 2020) so as to allow for seamless continuation of the same terms and conditions that were previously existing on basis of Notification issued vide S.R.O.7, dated 13th January, 2015. It is certified that seamless continuation of these same terms and conditions as a result of retrospective effect being given to this Notification does not adversely affect any person.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM